जे. अवनीश झिंगन और हरिंदर सिंह सिद्धू के समक्ष

किरण बाला-अपीलार्थी

बनाम

श्री एम. पी. गुप्ता और एक अन्य- प्रतिवादीगण

1993 का सी. ओ. सी. पी. सं. **480**

20 नवंबर, 2019

अदालत की अवमानना अधिनियम**, 1971-Ss.10** और **12**-अवमानना शक्ति का दायरा-कानूनी मुद्दों की भागीदारी-जानबूझकर अवज्ञा-विस्थापित व्यक्ति **(**मुआवजा और पुनर्वास**)** अधिनियम**,1954**-नायब तहसीलदार-सह-प्रबंध अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दो भूखंडों के आवंटन को निपटान आयुक्त की शक्ति का प्रयोग करने वाले निपटान अधिकारी **(**बिक्री**)** द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया गया था-आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई थी**,** जिसे **06.02.1986** के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी**,** जिसमें कहा गया था कि निपटान आयुक्त को नायब तहसीलदार द्वारा भूखंडों के आवंटन को स्वतः संज्ञान लेने का कोई अधिकार नहीं था-वहां**,** मुख्य निपटान आयुक्त**,** तहसीलदार **(**कैथल**)** से संदर्भ प्राप्त करने पर**,** रद्द कर दिया गया- इन तथ्यों पर मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा दिनांक **06.02.1986** कै निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई थी-फैसले की कोई जानबूझकर अवज्ञा नही है क्योंकि इस अदालत द्वारा तय किया गया- मुद्रा निपटान अधिकारी **(**मुद्रा**)** के अधिकार क्षेत्र के संबंध मे था- जो आबंटन के आदेश को रद्द करने के लिए संवत संज्ञान शक्ति का उपयोग करता था-अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है -यह निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा का मामला नही है बल्कि इसमें आबंटन रद्द करने का आदेश पारित करने का कानूनी मुदा शामिल है जब अभियोजन के अभाव में पहले के आदेश को रद्द कर दिया था -इसके अलावा याचिकाकर्ता की आगामी आदेशों को दी गई चुनौती विफल रही- याचिका खारिज कर दी गई

माना गया की कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।इस न्यायालय के फैसले की कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है।इस न्यायालय द्वारा तय किया गया मुद्दा निपटान अधिकारी (बिक्री) के अधिकार क्षेत्र के संबंध में था जो आदेश को रद्द करने की स्वतः संज्ञान शक्ति का आह्वान करता था।कानून के अनुसार आगे बढ़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर हस्तांतरण किया गया था कि विचाराधीन भूखंड निर्मित प्लॉट्स थे, जबकि बाद में यह पाया गया कि ये खाली भूखंड थे।

(पैरा 7)

इस मामले का एक और पहलू यह है कि याचिकाकर्ताओं ने बाद के आदेशों को चुनौती दी जिसमें वे विफल रहे। (पैरा 8)

संबोधित मुद्दा इस न्यायालय के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं बनाता है, बल्कि इसमें एक कानूनी मुद्दा शामिल है कि क्या प्रतिवादीगण आवंटन को रद्द करने का आदेश पारित कर सकते थे, विशेष रूप से जब पहले पारित आदेश को केवल अधिकार क्षेत्र के अभाव में अलग कर दिया गया था।यह मुद्दा रिट कोर्ट के समक्ष नहीं था।

(पैरा 10)

अभय नंदा, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए।
गगनदीप सिंह वासू, एडिशनल।एजी, हरियाणा।
अवनीश झिंगन, जे. (मौखिक)

(1) अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 और 12 के तहत दायर याचिका में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 21.05.1993 का आदेश इस न्यायालय के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या **5043** शीर्षक अमरनाथ थ्रू एल. आर. बनाम वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के सचिव और अन्य में पारित आदेश 06.02.1986 के फैसले का उल्लंघन है।

(2) वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 08.02.1967 को याचिकाकर्ताओं ने विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के तहत क्रमशः 415 और 478 वर्ग गज के दो प्लॉट्स नंबर 19 और 20 के आवंटन के लिए एक आवेदन दायर किया था। ये प्लॉट्स मोहल्ला सैदों, शाहाबाद मरकंडा में स्थित थे।अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और नायब तहसीलदार-सह-प्रबंध अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के नाम पर प्लॉट्स हस्तांतरित कर दिए गए।उक्त हस्तांतरण को निपटान अधिकारी (बिक्री)-सह-सहायक बिक्री आयुक्त द्वारा दिनांक 03.08.1971 के आदेश के माध्यम से अलग कर दिया गया था, जिसमें निपटान आयुक्त की शक्ति का उपयोग इस आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए किया गया था कि हस्तांतरण की शर्तों को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि प्लॉट्स का निर्माण नहीं किया गया था।पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने 1976 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5043 दायर किया।रिट याचिका में, यह उल्लेख किया गया था कि प्लॉट्स याचिकाकर्ताओं को सरकार के निर्देशों के आलोक में हस्तांतरित किया गया था, जो एक निर्मित संपत्ति के अनधिकृत अधिभोग को इसे खरीदने का अधिकार देता है।रिट याचिका को अनुमति दी गई और निपटान अधिकारी (बिक्री) की स्वतः संज्ञान कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के अभाव में अलग कर दिया गया।यह अभिनिर्धारित किया गया कि निपटान अधिकारी (बिक्री) के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियां नहीं थीं।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा

नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

- "मैं इस प्रकार संतुष्ट हूं कि निपटान आयुक्त के पास नायब तहसीलदार (बिक्री) के आदेश को स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेश अनुलग्नक पी/1 और पी/2 के माध्यम से इस आदेश की पुष्टि को इस अधिकारी, यानी निपटान आयुक्त को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए नहीं लिया जा सकता है।इसलिए, मैं आदेश अनुलग्नक पी/3 को अलग करता हूं।इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में, आदेश अनुलग्नक पी/3 को बनाए रखने वाले अन्य दो आदेश अनुलग्नक पी/1 और पी/2 को भी अलग रखा जाता है।"

(3) रिट याचिका के निर्णय के बाद, हरियाणा के मुख्य निपटान आयुक्त ने तहसीलदार (कैथल) से इस आशय का निर्देश प्राप्त करने पर कि याचिकाकर्ताओं को हस्तांतरित किए गए भूखंड खाली भूखंड थे, दिनांक 21.05.1993 के आदेश के अनुसार आवंटन को रद्द कर दिया।(4) उक्त आदेश से व्यथित, वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि आदेश दिनांक 06.02.1986 के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा में पारित किया गया है।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि एक बार जब इस न्यायालय द्वारा स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया था, तो 21.05.1993 दिनांकित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

(6) राज्य का विद्वान वकील आदेश का बचाव करता है और इस आधार पर अपने बचाव को मजबूत करता है कि निपटान अधिकारी (बिक्री) द्वारा पारित आदेश को अधिकार क्षेत्र के अभाव में अलग कर दिया गया था।वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता उक्त आदेश को चुनौती देने में वित्तीय आयुक्त के स्तर तक विफल रहे हैं।

(7) याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।इस न्यायालय के फैसले की कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है।इस न्यायालय द्वारा तय किया गया मुद्दा निपटान अधिकारी (बिक्री) के अधिकार क्षेत्र के संबंध में था जो आदेश को रद्द करने की स्वतः संज्ञान शक्ति का आह्वान करता था।कानून के अनुसार आगे बढ़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर हस्तांतरण किया गया था कि विचाराधीन भूखंड निर्मित भूखंड थे, जबकि बाद में यह पाया गया कि ये खाली भूखंड थे।

(8) इस मामले का एक और पहलू यह है कि याचिकाकर्ताओं ने बाद के आदेशों को चुनौती दी जिसमें वे विफल रहे।

(9) इसके अलावा, यह कथित अवज्ञा के हर मामले में नहीं है कि अवमानना याचिका शुरू की जाए। सहदेव बनाम राज्य उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायालय में

ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

15. अवमानना की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है।ऐसे मामले में जहां अदालत द्वारा पारित आदेश का गलती से, अनजाने में या आदेश के अर्थ और उद्देश्य की गलतफहमी से पालन नहीं किया जाता है, जब तक कि यह जानबूझकर न हो, अवमानना का कोई आरोप घर में नहीं लाया जा सकता है।संभवतः ऐसा कोई मामला हो सकता है जहाँ अवज्ञा आकस्मिक हो।अगर ऐसा है तो ऐसा अवमानना नहीं होगा।(बी. के. कर बनाम मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश उड़ीसा उच्च न्यायालय ([[ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1367:(1961) 2 (ए. आई. आर. पी. 1370, पैरा 7)।]

XXXX XXXX XXXX

17. बिहार राज्य बनाम सोनाबती कुमारी [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 221] मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (संक्षेप में "1971 अधिनियम") के प्रावधान न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा से संबंधित हैं।सजा का आदेश तब पारित नहीं किया जाता है जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि पक्षकार वास्तव में आदेश के दायरे के बारे में गलतफहमी में था या इस कारण से कोई अनजाने में गलत था कि आदेश अस्पष्ट था और एक से अधिक व्याख्या करने में यथोचित रूप से सक्षम था या पक्षकार का कभी भी आदेश की अवज्ञा करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने आदेश की व्याख्या के अनुसार खुद को संचालित किया।

(10) संबोधित मुद्दा इस न्यायालय के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं बनाता है, बल्कि इसमें एक कानूनी मुद्दा शामिल है कि क्या प्रतिवादीगण आवंटन को रद्द करने का आदेश पारित कर सकते थे, विशेष रूप से जब पहले पारित आदेश को केवल अधिकार क्षेत्र के अभाव में अलग कर दिया गया था।यह मुद्दा रिट कोर्ट के समक्ष नहीं था।झारेश्वर प्रसाद पॉल बनाम तारक नाथ गांगुली के मामले में सुप्रीम कोर्ट निम्नानुसार है:-

> अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है।चूँकि कानून की अदालतों द्वारा आदेशित सम्मान और अधिकार एक

(2010)3 एससीसी **705: (2010) 2** एस. सी. सी. **(**सी. आर. आई.**)451**

2002 (5) एस. सी. सी**. 352**

आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी गारंटी है और समाज के लोकतांत्रिक निर्माण को नुकसान होगा यदि न्यायपालिका के सम्मान को कमजोर किया जाता है।देश में न्याय के सच्चे और उचित प्रशासन के लिए आम लोगों में विश्वास की भावना को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कानून के तहत अदालतों की अवमानना अधिनियम, 1971 पेश किया गया है। अदालतों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक विशेष शक्ति है जो संविधान के तहत रिकॉर्ड की अदालतों में और क़ानून के तहत भी निहित है।शक्ति विशेष है और इसका उपयोग सावधानी और सतर्कता के साथ करने की आवश्यकता है।अवमाननापूर्ण आचरण के वास्तविक प्रभाव के बारे में संतुष्ट होने पर अदालतों द्वारा इसका संयम से उपयोग किया जाना चाहिए।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय पक्षों के बीच विवादों के निर्धारण के लिए मूल या अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।अवमानना का अधिकार क्षेत्र इस सवाल तक सीमित होना चाहिए कि क्या अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है और क्या उस पक्ष का आचरण, जिस पर इस तरह की अवज्ञा करने का आरोप है, अवज्ञाकारी है।अवमानना अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय उन प्रश्नों में प्रवेश करने का हकदार नहीं है जिन पर निर्णय या आदेश में विचार नहीं किया गया है और निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके उल्लंघन का आरोप आवेदक द्वारा लगाया गया है।न्यायालय को निर्णय या आदेश में जारी निर्देश पर विचार करना होगा और इस प्रश्न पर विचार नहीं करना होगा कि निर्णय या आदेश में क्या होना चाहिए था। पुनरावृत्ति की कीमत पर यहां यह कहा जा सकता है कि अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मुख्य रूप से पक्ष के आपत्तिजनक आचरण के सवाल से संबंधित है, जिसने निर्णय या आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में जानबूझकर चूक करने का आरोप लगाया है।यदि निर्णय या आदेश में किसी मामले के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है या यदि उसमें जारी किए गए निर्देशों में कोई अस्पष्टता है, तो बेहतर होगा कि पक्षकारों को उस अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया जाए, जिसने आदेश के स्पष्टीकरण के लिए मामले का निपटारा किया, बजाय इसके कि अदालत अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके मूल कार्यवाही को इस तरह से तय करने की शक्ति अपने ऊपर ले, जिस तरह से निर्णय या आदेश पारित करने वाले अदालत द्वारा नहीं निपटा गया है।यदि इस सीमा को ध्यान में रखा जाए तो आलोचनाएँ जो कभी-कभी अदालत की अवमानना करने वाले न्यायालयों के खिलाफ की जाती हैं "कि इसने विवाद के उचित निर्णय के बिना वास्तविक राहत देने और उसी के संबंध में निर्देश जारी करने में अपनी शक्तियों को पार कर लिया है।

विवाद को पूरी तरह से टाला जा सकता है।इससे कार्यवाही की बहुलता से भी बचा जा सकेगा क्योंकि जो पक्ष अवमानना कार्यवाही में पारित निर्णय या आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है और राहत देता है और नए निर्देश जारी करता है, वह उस आदेश को चुनौती दे सकता है और इससे मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हो सकता है जिसका उद्देश्य अदालतों की गरिमा और छवि को बनाए रखना है। (जोर दिया गया)

(11) अविषेक राजा बनाम संजय गुप्ता में इसे निम्नानुसार रूप में माना गया है:-

"इस न्यायालय द्वारा नूर सबा बनाम अनूप मिश्रा, 2013 (4) एस. सी. टी. 492 मामले में व्यक्त किया गया विचार हाल ही में आया है। जिसमें न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के मामले में अवमानना शक्ति के दायरे को रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में निम्नलिखित तरीके से निपटाया गया है -

"प्रतिवादीगण या उनमें से किसी को भी अवमानना के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि प्रतिवादीगण ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है।अवमानना अधिकारिता का प्रयोग संक्षिप्त प्रकृति का होता है और न्यायालय की जानबूझकर अवज्ञा के लिए कथित अवमानक के दायित्व का निर्णय आम तौर पर स्वीकृत और निर्विवाद तथ्यों पर किया जाता है। वर्तमान मामले में न केवल उन बुनियादी तथ्यों के संबंध में याचिकाकर्ता के रुख में बदलाव आया है जिन पर अवमानना करने का आरोप लगाया गया है, यहां तक कि उक्त नए/परिवर्तित तथ्य भी अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय की अनुमति नहीं देते हैं ताकि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि किसी भी प्रतिवादीगण ने जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है।"

(12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है, अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है।

(13) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने आवंटन को रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहले से ही उपलब्ध उपायों का लाभ उठाया था।

त्रिभुवन दहिया

3 2017 AIR (एससी**) 2955**

विकास (अनुवादक)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उदेशयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।